संख्या-23/2273 /12-2-2014-बजट.8/2008

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 13 अगस्त, 2014

विषय: जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: शो0 एवं मृ0सर्वे0/203/वित्तीय स्वीकृति/14-15 दिनांक 21 जुलाई, 2014 तथा शासनादेश संख्या: 1514/12-2-2014-बजट.8/2008 दिनांक 30 मई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनागत-101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण-05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 55711 हजार (रूपये पांच करोड सत्तावन लाख ग्यारह हजार मात्र) के सापेक्ष संलग्न विवरण के अनुसार अवशेष धनराशि रू0 9286 हजार (रूपये बानबे लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

3. शासकीय मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

4. मशीनों/उपकरणों का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत शासनादेशों तथा नियमों के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. स्वीकृत धनराशि सम्भावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने

http://rhdsanadesh.up.nic.in

पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर शासन की पूर्वानुमति के वगैर बैंक खातों में न जमा की जाय। उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। यदि अपरिहार्य हो तो शासन की पूर्वानुमति/स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

7. योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरंक्षण-आयोजनागत-101-मृदा संरंक्षण तथा परीक्षण-05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालों का सुदढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामें डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्राप्त निर्देशों के अधीन जारी किए जा रहे हैं जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित की गयी है।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

संख्या-23/2273 (1)/12-2-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)'प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलहाबाद।
3. निदेशक, स्थानिक लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वे0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

http://upsanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या: 23/2273 /12-2-2014-बजट.8/2008 दिनांक 13 अगस्त, 2014 का संलग्नक

मानक मद	प्राविधानित धनराशि (हजार रू0 में)	प्रथम 04 माह (अप्रैल 2014 से जुलाई, 2014 तक) हेतु स्वीकृत धनराशि
02- मजदूरी	4220.00	703.00
27-सब्सिडी	7072.00	1179.00
29-अनुरक्षण	1975.00	330.00
42-अन्य व्यय	4844.00	807.00
43-सामग्री सम्पूर्ति	36520.00	6087.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1000.00	167.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	80.00	13.00
योग:	**55711.00**	**9286.00**

(रूपये बानबे लाख छियासी हजार मात्र)

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in